भारत पाँच रुपये FIVE भारत पाँच रुपये FI भारत पाँच रुपये पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर
कैम्प, भोपाल. 1 - 1026 - PBR 16

छगनलाल आ० श्री रामचरण उम्र व्यस्क कृषक
एवं निवासी ग्राम गोंदरमऊ तहसील हुजूर जिला भोपाल--निगरानीकर्ता

विरुद्ध

श्रीमति असमत इकबाल पत्नी श्री इकबाल मजीद
निवासी बी-१३२, हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
कोहेफिजा भोपाल(म०प्र०) ------------- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १९५९

---000---

महोदय,

निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान तहसीलदार तहसील बैरागढ़ वृत-भोपाल के प्रकरण क्रमांक 03।अ-70।१३-१४ में पारित आदेश दिनांक १५-३-२०१६ के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

---000---

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा धारा ३२ के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति आवेदक अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गई, आवेदिका अधिवक्ता द्वारा मौखिक रुप से तर्क प्रस्तुत किए गए कि उनका आवेदन समय बढ़ाने हेतु दिया गया है, पूर्व में भी आवेदिका की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है, तब अनावेदक द्वारा प्रतिपरीक्षण की मांग नहीं की गई थी इस कारण मान्यवर से निवेदन है कि आवेदक (निगरानीकर्ता) का आवेदन पत्र निरस्त करने हेतु आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया, अनावेदक के आवेदन पत्र एवं आवेदिका अधिवक्ता के मौखिक तर्क सुनने के बाद अनावेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है, और प्रकरण आवेदक साक्ष्य हेतु नियत किया।

यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

:: निगरानी के आधार ::

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी/1026 –पीबीआर/2016 जिला–भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.03.2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 15–3–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदिका के साक्ष्य पूर्व में ही पूर्ण हो चुके थे । इसके बावजूद भी आवेदक द्वारा अनावेदिका के साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण की मॉग नहीं की गई । बाद में अनावेदिका के साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण की मॉग की गई है, जो कि तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही को लंबित रखे जाने का प्रयास है, इसलिये तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	